**न्यायालय, प्रथम अनन्य विशेष उत्पाद न्यायाधीश, भोजपुर आरा।**
**उपस्थितः– संदीप कुमार मिश्र, प्रथम अनन्य विशेष उत्पाद न्यायाधीश, भोजपुर आरा।**
**उत्पाद वाद/सी0आई0एस0 संख्या– 3866/2012**
**चौरी थाना काण्ड संख्या – 77 सन् 2012)**

| **न्यायालय, प्रथम अनन्य विशेष उत्पाद न्यायाधीश, भोजपुर आरा।**<br>**उपस्थितः– संदीप कुमार मिश्र, प्रथम अनन्य विशेष उत्पाद न्यायाधीश।**<br>**सी0आई0एस0/उत्पाद वाद संख्या – 3866/2012**<br>**चौरी थाना काण्ड संख्या – 77 सन् 2012)** | |
|---|---|
| सूचक | राज्य द्वारा :– रविन्द्र प्रसाद, थानाध्यक्ष चौरी थाना, भोजपुर आरा। |
| द्वारा प्रस्तुत | अभियोजन की तरफ से :– श्री राजेश कुमार, विशेष लोक अभियोजक, उत्पाद। |
| अभियुक्तगण | 1. सुरेन्द्र साह, पुत्र– स्व0 दरबारी साह, उम्र करीब 65 वर्ष, साकिन– दुलमचक, थाना– चौरी, जिला–भोजपुर। (ए–1)<br>2. गोरख कुमार राम, पुत्र– स्व0 नरेश राम, उम्र करीब 44 वर्ष, साकिन– धनछूहा, थाना– चौरी, जिला–भोजपुर। (ए–2)<br>3. मुनी लाल साह, पुत्र– स्व0 दरबारी साह, उम्र करीब 70 वर्ष, साकिन– दुलमचक, थाना– चौरी, जिला–भोजपुर। (ए–3) |
| द्वारा प्रस्तुत | अभियुक्त की तरफ से :– श्री सुरेश कुमार यादव, विद्वान अधिवक्ता। |

| | |
|---|---|
| घटना की तिथि | 09.12.2012 |
| प्राथमिकी की तिथि | 09.12.2012 |
| आरोप पत्र की तिथि | 19.06.2013 |
| आरोप विरचना की तिथि | 28.01.2026 |
| साक्ष्य के प्रारंभ होने की तिथि | 24.02.2026 |
| निर्णय तय करने की तिथि | 18.07.2026 |
| निर्णय की तिथि | 18.07.2026 |
| सजा आदेश की तिथि, यदि कोई हो | ---------- |

## अभियुक्त का विवरण

| अभियुक्त का क्रमांक | अभियुक्त का नाम | गिरफ्तारी/आत्मसर्पण की तिथि | जमानत पर मुक्त होने की तिथि | आरोपित धाराएं | दोषसिद्ध अथवा दोषमुक्त | आरोपित दंड | दंड प्रक्रिया संहिता की धारा–428 के उद्देश्य हेतु विचारण के दौरान कारा में बिताई गई अवधि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | सुरेन्द्र साह | गिरफ्तारी 10.12.2012 | 24.12.2012 | धारा 47(ए) उत्पाद अधिनियम | दोषमुक्त | – | – |

**न्यायालय, प्रथम अनन्य विशेष उत्पाद न्यायाधीश, भोजपुर आरा।**
**उपस्थितः– संदीप कुमार मिश्र, प्रथम अनन्य विशेष उत्पाद न्यायाधीश, भोजपुर आरा।**
**उत्पाद वाद/सी0आई0एस0 संख्या– 3866/2012**
**चौरी थाना काण्ड संख्या – 77 सन् 2012)**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | गोरख कुमार राम | गिरफ्तारी 10.12.2012 एवं 10.12.2025 | 24.12.2012<br>18.12.2025 | धारा 47(ए) उत्पाद अधिनियम | दोषमुक्त | – | – |
| 3. | मुनी लाल साह | गिरफ्तारी 10.12.2012 | 24.12.2012 | धारा 47(ए) उत्पाद अधिनियम | दोषमुक्त | – | – |

## निर्णय

1. उपरोक्त उल्लिखित तीनों अभियुक्तों के विरूद्ध धारा 47(ए) उत्पाद अधिनियम के अतर्गत आरोप दिनांक 28.01.2026 को गठित कर अभियुक्तों को हिन्दी में पढ़कर सुनाया एवं समझाया गया, जिससे अभियुक्तों ने इन्कार किया एवं विचारण का दावा किया।

कथित घटना दिनांक 09.12.2012 को ग्राम – धनछुहा एवं दुलमचक, थाना – चौरी, जिला – भोजपुर में घटित होना अभिकथित है।

2. प्राथमिकी के अनुसार, संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि सूचक दिनांक 09.12.2012 को 17:00 बजे गस्ती में सशस्त्र बल एवं चौकीदार के साथ निकला था और गस्ती के क्रम में जब ग्राम बंगौटी में था तो गुप्त सूचना मिली कि अभी–अभी धनछूहा में तीन व्यक्तियों को सर पर बोरा में शराब लेकर धनछूहा की ओर जाते देखा गया है और उसमें से एक व्यक्ति का नाम गोरख कुमार राम बताया। सूचना के सत्यापन हेतु सूचक बल के साथ धनछूहा पहुॅच कर गोरख कुमार राम के घर छापामारी किया तो आगंन के पूरब तरफ वाले कमरा में एक प्लास्टिक के उजला बोरा में 125 पाउच, सभी 200 एम0एल0 का देशी शराब बरामद हुआ। गोरख कुमार राम से पूछ–ताछ करने पर वह बताया कि ग्राम कोलोडिहरी स्थित सरकारी शराब की दुकान से बेचने के लिए घर लाए थे, साथ ही बताया कि ग्राम दुलमचक के दो दुकानदार मेरे साथ शराब कोलोडिहरी से लेकर बेचने के लिए लाए है, जिसका नाम मुनी लाल साह एवं सुरेन्द्र साह है। गोरख कुमार राम से शराब रखने एवं बेचने के बारे में कागजात की मांग करने पर उसके द्वारा कोई कागजात नहीं दिखाया गया एवं न ही संतोषजनक जवाब दिया। तब गवाह विनय कुमार सिंह एवं मनीष कुमार मधुकर के समक्ष शराब को जप्ती सूची बनाकर जप्त किया गया तथा जप्ती सूची की एक प्रति गोरख कुमार राम को दिया गया। उसके बाद सूचक अपने बल के साथ दुलमचक के लिए प्रस्थान किया तथा दुलमचक पहुॅच कर मुनी लाल साह एवं सुरेन्द्र साह के दुकान सह घर की छापामारी करने पर मुनी लाल साह के दुकान के पूरब – दक्षिण कोण से प्लास्टिक के बोरा में 44 पाउच, सभी 200 एम0एल0 का देशी शराब बरामद किया गया तथा सुरेन्द्र साह के पश्चिम वाला कमरा से उत्तर तरफ पलंग के नीचे एक प्लास्टिक के बोरा में रखा 56 पाउच, सभी 200 एम0एल0 का देशी शराब बरामद किया गया। उक्त दोनों व्यक्तियों से पूछ–ताछ करने पर वे बाताए कि ग्राम कोलोडिहरी स्थित सरकारी दुकान से बेचने के लिए शराब लाए थे और शराब बेचने का धंधा करते है तथा किसी प्रकार का कोई

कागजात प्रस्तुत नहीं किए और न ही कोई संतोषजनक जवाब दिए। उसके बाद जप्ती सूची बनाकर जप्त किया गया तथा जप्ती सूची की एक–एक प्रति दोनों अभियुक्तों को दिया गया।

3. सूचक के लिखित आवेदन के आधार पर मामले में कुल तीन अभियुक्तों के विरूद्ध दिनांक 09.12.2012 को चौरी थाना काण्ड संख्या 77/2012, धारा 272/273 भा0द0वि0 एवं धारा 47(ए) उत्पाद अधिनियम के अतर्गत संस्थित किया गया तथा अनुसंधानकर्ता द्वारा अनुसंधानोंपरात अभियुक्तों के विरूद्ध प्राथमिकी की धाराओं के अतर्गत आरोप पत्र समर्पित किया गया तथा मामले में अभियुक्तों के विरूद्ध आरोप पत्रित धाराओं के अतर्गत अपराध का संज्ञान लिया गया। विचारण के क्रम में अभिलेख इस न्यायालय के समक्ष लंबित है।

4. तीनों अभियुक्तगण का बयान धारा 313 द0प्र0स0 के अतर्गत दिनांक 13.07.2026 को अभिलिखित किया गया, जिसमें अभियुक्तों ने अभियोजन के मामले/साक्ष्य से इन्कार करते हुए स्वंय को निर्दोष कहा है।

5. प्रस्तुत मामले में न्यायालय के समक्ष विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या अभियोजन, अभियुक्तगण के विरूद्ध लगाये गये आरोप को युक्तियुक्त संदेहों की छाया से परे रहकर सिद्ध करने में सफल रहा है ?

## मंतव्य

6. विचारण के क्रम में अभियोजन की ओर से अपने मामले के समर्थन में दो साक्षियों को प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अभियोजन साक्षी संख्या – 1 विनय कुमार सिंह एवं अभियोजन साक्षी संख्या – 2 विरेन्द्र कुमार सिंह है।

अभियोजन की ओर से प्रथम जप्ती सूची पर साक्षी विनय कुमार सिंह के हस्ताक्षर को प्रदर्श पी0 – 1/पी0डब्लू0 1 एवं मनीष कुमार मधुकर के हस्ताक्षर को प्रदर्श पी0 1/1/पी0डब्लू0 1, द्वितीय जप्ती सूची पर साक्षी विनय कुमार सिंह के हस्ताक्षर को प्रदर्श पी0 – 2/पी0डब्लू0 1 एवं मनीष कुमार मधुकर के हस्ताक्षर को प्रदर्श पी0 2/1/पी0डब्लू0 1 तथा तृतीय जप्ती सूची पर साक्षी विनय कुमार सिंह के हस्ताक्षर को प्रदर्श पी0 – 3/पी0डब्लू0 1 एवं मनीष कुमार मधुकर के हस्ताक्षर को प्रदर्श पी0 3/1/पी0डब्लू0 1 अंकित कराया गया है।

अभियुक्त की ओर से अपने प्रतिरक्षा में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है।

7. अभियोजन साक्षी संख्या – 1, ने अपने साक्ष्य में कहा है कि घटना दिनांक 09.12.2012 की है। उस दिन वह एस0पी0ओ0 थाना में था। उस दिन वो लोग करीब 5 बजे शाम में संध्या गस्ती के लिए निकले थे एवं उसके साथ बड़ा बाबू रविन्द्र प्रसाद, एस0पी0ओ0 मनीष कुमार मधुकर, विरेन्द्र प्रसाद, रामधार चौकीदार भी थे। वो लोग धनछूहा गॉव पहुॅच कर गोरख राम के घर छापामारी किए और गोरख राम वहॉ पकड़े गए तथा गोरख राम के घर से 125 पाउच 200 एम0एल0 का देशी शराब जप्त किया गया। जप्ती सूची वहीं पर बड़ा बाबू के द्वारा बनाया गया था जिस पर उसने और

मनीष कुमार मधुकर ने हस्ताक्षर किया था। जप्ती सूची पर अपना और मनीष का हस्ताक्षर पहचान कर इस साक्षी ने उसे क्रमशः प्रदर्श पी0 1/पीडब्लू 1 एवं प्रदर्श पी0 1/1/पीडब्लू0 1 अंकित कराया है। साक्षी ने आगे यह भी कहा है कि उसके बाद वो लोग छापामारी के क्रम दुलमचक गॉव पहुॅचे और करीब 08:15 बजे शाम में मुनी लाल के दुकान पर पहुॅचे। वहॉ पर छापामरी के दौरान 44 पाउच 200 एम0एल0 का देशी शराब बरामद किया गया। जिसकी जप्ती सूची बड़ा बाबू रविन्द्र कुमार द्वारा बनाया गया, जिस पर उसने और मनीष कुमार मधुकर हस्ताक्षर किया था। इस जप्ती सूची पर अपने और मनीष कुमार मधुकर के हस्ताक्षर को पहचान कर साक्षी ने उसे क्रमशः प्रदर्श प्रदर्श पी0 2/पीडब्लू0 1 एवं प्रदर्श पी0 2/1/पी0डब्लू0 1 अंकित कराया है। मुख्य परीक्षण में ही साक्षी ने आगे यह भी कहा है कि उसके बाद वो लोग दुलमचक गॉव में ही सुरेन्द्र साह के घर में छापामारी किए तो सुरेन्द्र साह वहॉ पकड़े गए और उनके घर से 56 पाउच देशी शराब बरामद किया गया, जिसकी जप्ती सूची बड़ा बाबू रविन्द्र कुमार द्वारा बनाया गया था जिस पर उसने और मनीष कुमार मधुकर हस्ताक्षर किया था। जप्ती सूची पर अपने और मनीष कुमार मधुकर के हस्ताक्षर को पहचान कर साक्षी ने उसे क्रमशः प्रदर्श पी0 3/पी0डब्लू0 1 एवं प्रदर्श पी0 3/1/पी0डब्लू0 1 अंकित कराया है। साक्षी ने यह भी कहा है कि इस केस के अनुसंधानकर्ता द्वारा उसका बयान लिया गया था।

प्रतिरीक्षण के दौरान कण्डिका – 5 में साक्षी ने यह कहा है कि घटना दिनांक 09.12.2012 की है तथा 2012 में छठ पूजा किस तारीख को था, उसे याद नहीं है। 24 तारीख को नोटिस मिला था और उसे पहले से पता था कि वह इस केस में गवाह है। वह उस थाना में 2010 से 2018 तक था और जितने दिन वह उस थाना में था वह करीब 8–10 केस में गवाह है। कण्डिका – 7 में साक्षी ने कहा है कि उस घर में एक औरत और कुछ बच्चे थे और वो लोग जब वहॉ गए तो वहॉ उस समय वहॉ कोई लोग उपस्थित नहीं था। सभी लोग घर के अंदर गए थे, लेकिन वह घर के बाहर था, घर के बाहर डाबा में ही था। घर को सर्च करने के लिए किसी पदाधिकारी का आदेश लिया गया था या नही यह बात उसे नहीं मालूम, बल्कि बड़ा बाबू को मालूम था। जिस घर में छापामारी किए थे वह घर किसका था इस बात का पता बड़ा बाबू किए थे और उसे आज तक यह पता नही किया कि जिस घर में छापामारी किया गया था वह घर किसका था। इस केस में आज वह पहली बार गवाही देने आया है। कण्डिका – 8 में साक्षी ने कहा है कि घर में घुसने से पहले उन लोगों की कोई तलाशी नहीं हुई थी। कण्डिका – 12 में साक्षी ने कहा है कि जप्त प्रदर्श का माप–तौल एवं गिनती घटनास्थल पर किया गया था। घर के आंगन में ही गिनती हुआ था और जप्त प्रदर्श को बड़ा बाबू बोरा में उठाकर बाहर लेकर आए थे। बोरा सिमेंट का था, जिसका मुॅह बंधा था। बड़ा बाबू भीतर से गिनकर बाहर लाए थे और फिर उसी गाड़ी पर लादा गया और थाना लाया गया। वह गिनती नहीं किया था और बोरा खोलकर भी नहीं देखा था।

8. अभियोजन साक्षी संख्या – 2 ने अपने साक्ष्य में कहा है कि घटना दिनांक 09.12.2012 की है। उस दिन वह चौरी थाना में चौकीदार के पद पर पदस्थापित था। उस दिन वो लोग करीब 7 बजे शाम में संध्या गस्ती के लिए निकले थे, उसके साथ बड़ा बाबू रविन्द्र प्रसाद, एस0पी0ओ0 मनीष कुमार मधुकर, चौकीदार रामधार, विनय कुमार भी थे। जब वो लोग धनछूहा गॉव पहुॅचे और गोरख राम के घर पहुॅचे तो उसके घर से 125 पाउच 200 एम0एल0 का देशी शराब जप्त किया गया। उसके बाद

वो लोग छापामारी के क्रम दुलमचक गॉव मुनी लाल के दुकान पर पहुॅचे और वहॉ पर छापामरी के दौरान 44 पाउच 200 एम0एल0 का देशी शराब बरामद किया गया। उसके बाद वो लोग दुलमचक गॉव में ही सुरेन्द्र साह के घर में छापामारी किए तो सुरेन्द्र साह वहॉ पकड़ाए और उनके घर से 56 पाउच देशी शराब बरामद किया गया तथा इस केस के अनुसंधानकर्ता द्वारा उसका बयान लिया गया था। साक्षी ने तीनों अभियुक्तों को पहचाना भी है।

प्रतिपरीक्षण के दौरान कण्डिका – 5 में साक्षी ने यह कहा है कि इस केस में वह आज से पहले कहीं गवाही नहीं दिया है। प्रतिपरीक्षण के दौरान कण्डिका – 6 में साक्षी ने कहा है कि थाना पर सूचना मिला था कि शाम को छापामारी करने चलना है और वो लोग थाना से करीब 06:00 बजे शाम में निकले थे। साथ में बड़ा बाबू, चौकीदार रामाधारा राम, प्रेम कुमार मधुकर और विनय कुमार सिंह थे। सैफ के जवान भी थे, जिनका नाम उसे याद नहीं है। थाना से निकलने के बाद छापामारी धनछूहा और उसके बाद दुलमचक में भी छापामारी हुआ था। कण्डिका – 7 में साक्षी ने कहा है कि धनछूहा में करीब 07:00 बजे और दुलमचक में करीब 08:00 बजे छापामरी हुआ था। दुलमचक गॉव में छापामारी के दौरान वो लोग करीब 1 घण्टा रूके थे और धनछूहा गॉव में भी एक घण्टा रूके थे। धनछूहा गॉव से दुलमचक की दूरी करीब 2.5 किमी0 है। धनछूहा गॉव में जिस घर में छापामारी हुआ था वह मिट्टी का था और दुलमचक का घर ईट का पक्का मकान था। जिस घर में छापामारी हुआ था, उस घर का कागज नहीं देखा था। छापामारी के दौरान मैं मुन्नी लाल साह के दुकान में गया था। दुकान किराना का था। कण्डिका – 8 में साक्षी ने कहा है कि दूसरे जगह छापामारी के दौरान भी वह घर में गया था और धनछूहा गॉव में जिस मकान में छापामारी हुई थी उसमें तीन–चार कमरा था। पूरब साईड वाले रूम से समान बरामद किया गया था। छापामारी के दौरान उस घर में करीब 4–5 लोग मौजूद थे। सभी लोग को गिरफ्तार नहीं किया गया था। जिसको गिरफ्तार नहीं किया गया था उसका कारण बड़ा बाबू बताएगें। कण्डिका – 10 में साक्षी ने कहा है कि इस केस में आज वह न्यायालय में पहली बार गवाही दिया है। धनछूहा वाला घर का कोई कागजात वह नहीं देखा था। दुलमचक वाले घर का कागज देखा था। घर का कागज मुनी लाल साह दिखाए थे, घर का रसीद दिखाए थे।

9. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्क सुना।

10. विद्वान विशेष लोक अभियोजक का यह कथन है कि अभियोजन साक्षियों ने अपने साक्ष्य में अभियोजन के मामले का समर्थन किया है तथा अभियोजन अभियुक्त के विरूद्ध लगाए गए आरोप को युक्ति–युक्त संदेहों की छाया से परे रहकर सिद्ध करने में सफल रहा है। जबकि इसके विपरित प्रतिरक्षा पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का यह कथन है कि प्रस्तुत मामले में अभियोजन की ओर से सूचक, अनुसंधानकर्ता तथा जप्ती सूची के एक अन्य साक्षी मनीष कुमार मधुकर को प्रस्तुत नहीं किया गया है, जो अभियोजन के मामले को संदेहपूर्ण बनाता है। विद्वान अधिवक्ता का यह भी तर्क है कि अभियोजन साक्षियों के साक्ष्य में विरोधाभाष है तथा मामले में जप्ती से संबंधित धारा 100 द0प्र0स0 के प्रावधान का अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया गया है तथा अभियोजन अभियुक्तगण के विरूद्ध लगाए गए आरोप को युक्ति–युक्त संदेहों की छाया से परे रहकर सिद्ध करने में सफल नहीं रहा है।

11. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्क को सुनने के पश्चात् तथा अभियोजन साक्षियों के साक्ष्य के उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि अभियोजन साक्षी संख्या – 1 ने अपने साक्ष्य में अभियोजन के मामले का समर्थन किया है और कहा है कि दिनांक 09.12.2012 को गोरख राम के घर पर छापामारी के दौरान 125 पाउच, 200 एम0एल0 का देशी शराब तथा मुनी लाल के दुकान से छापामारी के दौरान 44 पाउच, 200 एम0एल0 का देशी शराब तथा सुरेन्द्र साह के घर से छापामारी के दौरान 56 पाउच देशी शराब पकड़ाया, किन्तु प्रतिपरीक्षण के कण्डिका –7 में साक्षी ने यह कहा है कि उसे नहीं पता है कि जिस घर में छापामारी किया था वह घर किसका था तथा कण्डिका – 8 में कहा है कि घर में घुसने से पहले उन लोगों की तलाशी नहीं हुई थी। उक्त साक्षी के प्रतिपरीक्षण के कथनों से जप्ती की प्रक्रिया दूषित हो जाती है तथा घटना स्थल की सम्पत्ति अभियुक्तगण की थी इस संबंध में भी संदेह उत्पन्न होता है तथा अभियोजन द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे यह स्पष्ट हो कि घ ाटनास्थल की सम्पत्ति अभियुक्तगण की थी। जहॉ तक अभियोजन साक्षी संख्या – 2 के साक्ष्य का प्रश्न है तो इस साक्षी के साक्ष्य के उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि साक्षी ने अपने मुख्य परीक्षण में अभियोजन के मामले का समर्थन किया है और कहा है कि अनुसंधानकर्ता द्वारा उसका बयान लिया गया था, किन्तु प्रतिपरीक्षण के कण्डिका – 5 में साक्षी ने यह कहा है कि वह इस केस में पहले कभी गवाही नहीं दिया है। अतः इस संबंध में साक्षी के उक्त कथनों में विरोधाभाष है और साक्षी का साक्ष्य धारा 161 द0प्र0स0 के प्रावधान से प्रभावित है।

12. माननीय न्यायालयों द्वारा यह सुस्थापित है कि किसी अपराध के अभियुक्त को उसके लिए उत्तदायी ठहराने के लिए पहले अभियेाजन को अपने उत्तरदायित्व को निभाना होगा अर्थात अभियोजन को अपने मामले को अकाट्य साक्ष्य द्वारा युक्ति–युक्त संदेह से परे रहकर सिद्ध करना होगा। इस संबंध में माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा ***नगीना पासी बनाम् बिहार राज्य क्रिमनल अपील (डी0बी0) संख्या 312/2021*** में यह धारित किया गया है कि –

> *"the presumption would not come into picture merely upon a charge being levelled against the accused - appellant under the Excise Act, 2016 and it can be safely said that to shift the burden on the accused - appellants to prove their innocence an initial burden exist upon the prosecution and only after the foundational facts for constituting the offence would be established, the burden would shift upon the accused persons."*

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा ***मोहन लाल बनाम् पंजाब राज्य AIR 2018 SC 3853*** के पारा – 10 में यह प्रेक्षित (Observed) किया गया है कि –

> *"Unlike the general principle of criminal jurisprudence that an accused in presumed innocent unless proved guilty., the NDPS Act carries a reverse burden of proof under Sections 35 and 54. But that cannot be understood to mean that the moment an allegation is made and the F.I.R. recites compliance with statutory procedures leading to recovery, the burden of proof from the very inception of the prosecution shifts to the accused, without*

*the prosecution having to establish or prove anything more. The presumption is rebuttable. Section 35(2) provides that a fact can be said to have been proved if it is established beyond reasonable doubt and not on preponderance of probability. The stringent provisions of the NDPS Act, such as Section 37, the minimum sentence of ten years, absence of any provision for remission, do not dispense with the requirement of the prosecution to establish a prima facie case beyond reasonable doubt after investigation, only after which the burden of proof shall shift to be accused. The case of the prosecution cannot be allowed to rest on a preponderance of probabilities."*

13. प्रस्तुत मामले में सूचक, अनुसंधानकर्ता तथा आरोप पत्र के महत्वपूर्ण साक्षियों एवं जप्ती सूची के एक अन्य साक्षी मनीष कुमार मधुकर को अभियोजन की ओर से न्यायालय में प्रस्तुत कर उनका साक्ष्य नहीं कराया गया है और न ही इसका कोई युक्ति–युक्त कारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है, जो अभियोजन के मामले का संदेहपूर्ण बनाता है। अभियोजन की ओर से मामले में जप्ती सूचिओं को प्रदर्श चिन्हित नहीं कराया गया है और न ही जप्त प्रदर्श को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर उसे वस्तु प्रदर्श के रूप में चिन्हित कराया गया है। अभियोजन की ओर से मामले में ऐसा कोई दस्तावेज प्रदर्श चिन्हित नहीं कराया गया है, जिससे यह स्पष्ट हो कि जप्त सामग्री शराब थी। अतः उपरोक्त विवेचनाओं के आलोक में मैं यह पाता हूँ कि अभियोजन, अभियुक्तगण के विरूद्ध लगाए गए आरोप को युक्ति–युक्त संदेहों की छाया से परे रहकर सिद्ध करने में सफल नहीं रहा है। फलतः –

## आदेश

14. अभियुक्त सुरेन्द्र साह, गोरख कुमार राम एवं मुनी लाल साह को धारा 47(ए) उत्पाद अधिनियम के आरोप में संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त किया जाता है। प्रतिभूगण को बंधपत्र के दायित्व से उन्मोचित किया जाता है।

निणर्य आज मेरे द्वारा खुले न्यायालय
में हस्ताक्षरित, दिनांकित, उद्घोषित
एवं शुद्धिकृत किया गया।

लेखापित

sd/-

(संदीप कुमार मिश्र)
प्रथम अनन्य विशेष उत्पाद न्यायाधीश
भोजपुर, आरा।
दिनांक 18.07.2026

(संदीप कुमार मिश्र)
प्रथम अनन्य विशेष उत्पाद न्यायाधीश,
भोजपुर, आरा।
दिनांक 18.07.2026

**न्यायालय, प्रथम अनन्य विशेष उत्पाद न्यायाधीश, भोजपुर आरा।**
**उपस्थितः– संदीप कुमार मिश्र, प्रथम अनन्य विशेष उत्पाद न्यायाधीश, भोजपुर आरा।**
**उत्पाद वाद/सी0आई0एस0 संख्या– 3866/2012**
**चौरी थाना काण्ड संख्या – 77 सन् 2012)**

**साक्ष्य का परिशिष्ट**
**अनुक्रमणिका**
**अभियोजन/बचाव/न्यायालय के गवाहों की सूची**
**A. अभियोजन :–**

| रैंक | नाम | गवाह की प्रकृति (चश्मदीद गवाह, पुलिस गवाह, विशेषज्ञ गवाह, चिकित्सा गवाह, पंच गवाह, अन्य गवाह) |
|---|---|---|
| PW-1 | विनय कुमार सिंह | पुलिस साक्षी |
| PW-2 | विरेन्द्र कुमार सिंह | पुलिस साक्षी |

**B. बचाव पक्ष साक्षी, यदि हो तो :– कोई नहीं।**
**C. न्यायालय साक्षी, यदि हो तो :– कोई नहीं।**

**अभियोजन/बचाव/न्यायालय प्रदर्शो की सूची**

**A. अभियोजन :–**

| क्रम संख्या | प्रदर्श संख्या | विवरण |
|---|---|---|
| 1. | प्रदर्श – 1 | प्रथम जप्ती सूची पर साक्षी विनय कुमार सिंह का हस्ताक्षर |
| 2. | प्रदर्श – 1/1 | प्रथम जप्ती सूची पर साक्षी मनीष कुमार मधुकर का हस्ताक्षर |
| 3. | प्रदर्श – 2 | द्वितीय जप्ती सूची पर साक्षी विनय कुमार सिंह का हस्ताक्षर |
| 4. | प्रदर्श – 2/1 | द्वितीय जप्ती सूची पर साक्षी मनीष कुमार मधुकर का हस्ताक्षर |
| 5. | प्रदर्श – 3 | तृतीय जप्ती सूची पर साक्षी विनय कुमार सिंह का हस्ताक्षर |
| 6. | प्रदर्श – 3/1 | तृतीय जप्ती सूची पर साक्षी मनीष कुमार मधुकर का हस्ताक्षर |

**B. बचाव पक्ष प्रदर्श :– कोई नहीं।**
**C. न्यायालय प्रदर्श :– कोई नहीं।**
**D. वस्तु प्रदर्श :– कोई नहीं।**

लेखापित

(संदीप कुमार मिश्र)
प्रथम अनन्य विशेष उत्पाद न्यायाधीश,
भोजपुर, आरा।
दिनांक 18.07.2026

**न्यायालय, प्रथम अनन्य विशेष उत्पाद न्यायाधीश, भोजपुर आरा।**
**उपस्थितः– संदीप कुमार मिश्र, प्रथम अनन्य विशेष उत्पाद न्यायाधीश, भोजपुर आरा।**
**उत्पाद वाद/सी0आई0एस0 संख्या– 3866/2012**
**चौरी थाना काण्ड संख्या – 77 सन् 2012)**

| | |
|---|---|
| निर्णय तय करने की तिथि | 18.07.2026 |
| निर्णय की तिथि | 18.07.2026 |
| निर्णय अपलोड करने की तिथि | 23.07.2026 |
| निर्णय अपलोडकर्ता | रवि कांत, साक्ष्य लेखक। |